न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 214 / 2024

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बजरंग पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. सन्तोष देवी पत्नी गोपीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. पालाराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला।
4. कृष्ण कुमार पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. मंगल सिंह पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. घेरूराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. गुडी देवी पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
9. कृष्णां पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. राम देवी पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> दिनांकः 09/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 377 / 351 के खसरा नं. 682 की कुल तादादी 4.0471 है0 भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 86 / 85 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2020 है0 भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि मृतक रामकरण पुत्र बीरू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वादी के पिता रामकरण पुत्र बीरू का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के एक भाई गोपीराम पुत्र रामकरण का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जायज वारिसान है जिनका उपरौक्त भूमि में ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 8 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:36 IST
Reason: SelfAttested

त्याग वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 377/351 के खसरा नं. 682 की कुल तादादी 4.0471 है0 की 1/9 हिस्सा भूमि में से 9/11 हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 2/11 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 86/85 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2020 है0 भूमि की 1/9 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 6, 7, 9, 10 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण रामकरण, शान्ति देवी, गोपीराम, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वादी के पिता रामकरण पुत्र बीरू का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के एक भाई गोपीराम पुत्र रामकरण का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जायज वारिसान है जिनका उपरौक्त भूमि में ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 8 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 377/351 के खसरा नं. 682 की कुल तादादी 4.0471 है0 की 1/9 हिस्सा भूमि में से 9/11 हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 3 ता 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 2/11 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 86/85 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2020 है0 भूमि की 1/9 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 6, 7, 9, 10 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 377/351 के खसरा नं. 682 की कुल तादादी 4.0471 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 86/85 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2020 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि मृतक रामकरण पुत्र बीरू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वादी के पिता रामकरण पुत्र बीरू का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के एक भाई गोपीराम पुत्र रामकरण का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जायज वारिसान है जिनका उपरौक्त भूमि में ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 8 जो कि वादी की बहिन है ने अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 377/351 के खसरा नं. 682 की कुल तादादी 4.0471 है0 की 1/9 हिस्सा भूमि में से 9/11 हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 2/11 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 86/85 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2020 है0 भूमि की 1/9 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 6, 7, 9, 10 ब0 हि0 ब0 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक रामकरण के अन्य कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 377/351 के खसरा नं. 682 की कुल तादादी 4.0471 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में मृतक रामकरण पुत्र बीरू का नाम कलमजन किया जाकर 9/11 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 2/11 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 86/85 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2020 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में मृतक रामकरण पुत्र बीरू का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6, 7, 9, 10 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:36 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 214/2024
अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बजरंग पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. सन्तोष देवी पत्नी गोपीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. पालाराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला।
4. कृष्ण कुमार पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. मंगल सिंह पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. घेरूराम पुत्र रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. गुडी देवी पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
9. कृष्णा पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर।
10. राम देवी पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 214 सन 2024 निर्णय दिनांक –09/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 377/351 के खसरा नं. 682 की कुल तादादी 4.0471 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में मृतक रामकरण पुत्र बीरू का नाम कलमजन किया जाकर 9/11 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 2/11 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 86/85 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2020 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में मृतक रामकरण पुत्र बीरू का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6, 7, 9, 10 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9/4/24 ...... मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:36 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर